"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, सोमवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2001 कार्तिक 7, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-385/2001/वा.क./पांच (60).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है.

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देशित करती है कि इस अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अंतर्गत किसी व्यवसायी, जिसकें व्यवसाय का स्थान छत्तीसगढ़ में हो, के द्वारा इमारती लकड़ी (अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान क्रय की गई) का विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित उसके व्यवसाय स्थल से अंतर्राज्यीय व्यवसाय या व्यापार के दौरान करने पर, उसके द्वारा किये गये ऐसे विक्रय के र्ट ओवर पर देय कर की गणना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से दिनांक 31-03-2002 तक की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत की दर से की जावेगी .

Raipur, the 29th October 2001

NOTIFICATION

No. F-10-385/2001/CT/V(60)—Whereas, the State Government is satisfied that it is necesary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that the tax payable under sub-section (1) of Section 8 of the said Act, by any dealer having his place of business in the State of Chhattisgarh in respect of sales of Timber (purchased in the course of interstate trade or commerce), by him from any such place of business in the course of interstate trade or commerce, shall, with effect from the date of publication in the Official Gazette, till 31-3-2002, be calculated at the rate of one percent on his turnover of such sales.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 247] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2001 —पौष 10, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2001

छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखिथ अधिनियम, जिस पर दिनांक 29-12-2001 को छ.ग. के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई.एस उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 6) अधिनियम, 2001

वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2001 (क्रमांक 23 सन् 2001) है.

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये राज्य की संचित निधि में से 159,85,77,319 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक सौ उनसठ करोड़, पचासी लाख, सतहत्तर हजार, तीन सौ उन्नीस रूपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्याक		सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनाधिक राशियां		योग
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	
(1)		(2)	(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	2,79,96,531	24,00.000	3,03,96,531
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	34,65,000	0	34,65,000
03	पुलिस	राजस्व	10,00,600	0	10,00,600
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	50,000	0	50,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,49,00,000	0	1,49,00,000
		पूंजी	14,53,500	0	14,53,500
10	वन राजस्व	राजस्व	16,00,000	0	16,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	30,52,000	0	30,52,000
13	कृषि	राजस्व	13,29,30,000	0	13,29,30,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,51,54,000	0	5,51,54,000
18	श्रम	राजस्व	38,94,000	0	38,94,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	10,00,000	0	10,00,000
24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	राजस्व	30,00,00,000	0	30,00,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	33,89,000	0	33;89,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	30,00,000	0	30,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	4,47,25,000	0	4,47,25,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	38,00,000	0	38,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	2,00,83,200	17,00,000	2,17,83,200
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय	राजस्व	19,05,28,000	0	19,05,28,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,09,000	0	12,09,000
32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	22,50,000	0	22,50,000
36	परिवहन	राजस्व	84,35,000	0	84,35,000
37	पर्यटन	राजस्व	1,80,000	0	1,80,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,13,66,000	0	2,13,66,000

(1)	(2)		(3)		
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	19,74,29,000	0	19,74,29,000
		पूंजी	6,58,46,000	0	6,58,46,000
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	पूंजी	4,00,00,100	0	4,00,00,100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	22,04,000	0	22,04,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	2,71,62,000	0	2,71,62,000
48	ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत प्रशासन का उन्नयन अनुदान	राजस्व	8,50,000	0	8,50,000
55	महिला एवं बाल विकास कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	3,00,000	0	3,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	राजस्व	6,33,72,000	0	6,33,72,000
65	विमानन विभाग	पूंजी	86,61,288	0	86,61,288
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	6,00,000	0	6,00,000
67	लोक निर्माण कार्य भवन	राजस्व	4,24,000	0	4,24,000
		पूंजी	100	0	100
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	87,50,000	0	87,50,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,64,00,000	0	6,64,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	26,36,00,000	0	26,36,00,000
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	6,18,000	0	6,18,000
	योग	राजस्व	1,44,93,54,331	41,00,000	1,45,34,54,331
		पूंजी	14,51,22,988	0	14,51,22,988
	वृहद योग		1,59,44,77,319	41,00,000	1,59,85,77,319

नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001